

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 30/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2017

का.आ. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के उपवाक्य (ख) एवं उपवाक्य (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, का. आ. सं 830 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे.). दिनांक 21 नवम्बर, 1994 में निम्नलिखित और आगे संशोधन करता है, यथा –

उक्त अधिसूचना की सारणी की क्रम संख्या 8 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को हटाया जायेगा .

[फा. सं. 476/03/2016-एलसी]

टेम्सुनारो जमीर
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना सं. 63/1994- सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 21 नवम्बर, 1994, को का.आ. 830 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा जिसे अंतिम बार अधिसूचना सं. 125/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 13 अक्टूबर के द्वारा संशोधित किया गया था जिसको का. आ. 3195 (अ), दिनांक 12 अक्टूबर 2016 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II में प्रकाशित किया गया था